1	2	3	4	5
U Arab Emts	22712546	637844877	21256792	605288001
U.K.	2828	2241661	2090	87230
USA	90986	2859956	54863	1586521
Yemen Republic	4996919	126398462	3515279	88463921
GRAND TOTAL		3565863959		2518688053

Source : DGCI&S, Calcutta.

Practice of marking high price on items of consumer goods

*.102. SHRI KRISHA.N LAI SHARMA : Will bc Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMEFAFFAIRS AND PUBLIC DISTRI BUTIONb? phas; to stv. :

(a) whether it is a fact that. there is a big margin between the pric; marked on various items of house-hold hold goods and the price at which these items are actually sold;

(b) whether it is also a fact that his practice of marking too high pric; on items leads to fleecing of customers; and

(c) if so, what steps are proposed to be taken to check this prcatice ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIA.K.ANTONY): (a) to(c) : The Minister's attention has been drawn to some press articles stating that the price marked on the package is higher than the actual selling price. The declaration of the sale price on a package includes various components like taxes, freight, commission etc. The price printed is only the maximum price and the actual selling price may be lower than the marked price depending upon these factors.

The Ministry has constituted an Expert Committee comprising representatives of the Government. orga nisations, trade and industry associations and consumer organisations to review and suggest the best method of declaration of retail sale price on pro-pack d commodities.

श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्याया' धिकरनों में लंबित मामले

*306. श्री मूलचन्द मीणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में कितने मामले लम्बित हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से कितने मामले पांच वर्ष से भी अधिक अवधि से लम्बित हैं ; और

(ग) सरकार ने लम्बित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/-सह-

श्रम-न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार एक विवरण नीचे दिया गया है :—

31.12.1993 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित श्रम न्यायालयों; औद्योगिक अधिकरणों और श्रम न्यायालय -सह-औद्योगिक अधिकरणों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों-सह-श्रम न्यायालयों के समक्ष औद्योगिक विवादों और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत लम्बित औद्योगिक विवादों और आवेदनों की संख्या ।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औद्योगिक विवादों की संख्या		आवेदनों की संख्या		औद्योगिक विवादों और आवेदनों की कुल योग	
		लंबित	3 वर्षों से अधिक लंबित	लंबित	3 वर्षों से अधिक लंबित	लंबित	3 वर्षों से अधिक लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान और निकोबार	24	उ. न.	15	उ. न.	39	उ. न.
2.	आन्ध्र प्रदेश	8081	977	2969	458	14950	1431
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4.	असम ‡	257	104	92	25	349	429
5.	बिहार ‡	713	169	896	223	1609	392
6.	चंडीगढ़ ‡	739	उ. न.	उ. न.	उ. न.	739	उ. न.
7.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	21889	5254	22623	4786	44512	10050
10.	गोवा ‡	224	93	100	25	324	118
11.	गुजरात	45798	16887	699	218	46497	17105
12.	हिमाचल प्रदेश	311	48	243	0	554	48
13.	हरियाणा	4712	728	3110	385	7823	1113
14.	जम्मु और कश्मीर ‡	88	उ. न.	उ. न.	उ. न.	88	0
15.	केरल ‡	1669	126	1221	210	2890	336
16.	कर्नाटक (अ) ‡	7320	2361	2383	940	9703	3301

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	लक्ष्य द्वीप	0	0	0	0	0	0
18.	मणिपुर	4	0	0	0	4	0
19.	मेघालय	2	1	0	0	2	1
20.	महाराष्ट्र	13302	6231	25236	11698	38538	17929
21.	मध्य प्रदेश	2522	985	1395	461	3917	1446
22.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
23.	नागालैंड‡	1	0	0	0	1	0
24.	उड़ीसा	1251	236	1757	420	3008	656
25.	पंजाब	7184	464	5422	828	12606	1292
26.	पांडिचेरी	88	7	11	2	99	9
27.	राजस्थान	8504	3244	5680	1839	14184	5083
28.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
29.	तमिलनाडु‡	9846	1710	9987	1220	19833	2930
30.	त्रिपुरा	2	0	2	0	4	0
31.	उत्तर प्रदेश	17795	2889	6091	893	23886	3782
32.	पश्चिम बंगाल	2211	799	1244	447	3455	1246
	कुल : . . .	154538	43309	91176	25088	245714	68397

‡30-6-1993 की स्थिति के अनुसार
उ. न. उपलब्ध नहीं
(अ) अनंतिम

क्र० सं०	के० स० औ० अ० का नाम	औद्योगिक विवादों की संख्या		आवेदनों की संख्या		औद्योगिक विवादों और आवेदनों की संख्या	
		लंबित	5 वर्षों से अधिक से लंबित	लंबित	5 वर्षों से अधिक से लंबित	लंबित	5 वर्षों से से अधिक लंबित
1.	आसनसोल	60	0	15	0	75	0
2.	बंगलौर	336	71	27	0	363	71
3.	बम्बई नं.–1	298	10	796	442	1094	452
4.	बम्बई नं.–2	256	31	642	115	898	146
5.	कलकत्ता	298	126	242	17	540	143
6.	चंडीगढ़	744	219	1845	191	2589	410
7.	धनबाद नं.–1	635	48	164	31	799	79
8.	धनबाद नं.–2	557	6	37	0	594	6
9.	जबलपुर	1188	323	2224	683	3412	1006
10.	कानपुर	822	0	1188	0	2010	0
11.	नई दिल्ली	605	49	1220	107	1825	156

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ लम्बित विवादों का तेजी से निपटान करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई निम्नानुसार है :—

(i) संराधन तंत्र को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाना ताकि अधिकांश मामलों को संराधन स्तर पर ही निपटाया जा सके ;

(ii) श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त स्थानों को शीघ्रता से भरना ;

(iii) जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त श्रम न्यायालों एवं औद्योगिक अधिकरणों की स्थापना ;

(iv) जहां कहीं संभव हो, लोक अदालतें आयोजित करना ।

देश में माप-तोल केन्द्रों की स्थापना

*307. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने माप-तोल केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां माप-तोल विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे केन्द्र अन्य राज्यों के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी स्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रभावी एवं त्वरित जांच के लिए उन्हें वाहन तथा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सब डिवीजन एवं जिला स्तर पर चलती-फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता देने की कोई योजना तैयार की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) रांची में स्थित भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान, एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है, जो बाट तथा माप विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) जी नहीं । राज्य सरकारें अपने राज्यों में बाट तथा माप एककों के विकास के लिए, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को अपनी राज्य योजनाओं में शामिल करके, निधि योजना आयोग से मांग सकती है ।

Farm exports

*308. SHRI V. HANUMAN-THA RAO: Will the Minisrer of COMMERCE be pleased to seat

(a) whether Government propose to encourage farm exports;

(b) if so, what are the main farm and agricultural products selected from Andhra Pradesh to be given priority; and

(c) if so, what are the stops to be taken to increase farm exports of the above crops?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes Sir.

(b) The policies of the Government have all India applicability which can be utilised by growers/ exporters from Andhra Pradesh also. Tobacco, Cotton, Mangoes, Grapes, Chillies and Non-Basmati Rice are important products from Andhra Pradesh which have export potential.

(c) Government attaches special importance to the growth of expect